

समय सीमा
25.06.2015

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 671 / आर 886 / 2015 / ब-1 / चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 02 / 06 / 2015

शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2015-2016 का विधान सभा में उपस्थापन ।

-0-

वर्ष 2015-2016 का प्रथम अनुपूरक अनुमान विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुपूरक अनुमान में निम्न स्वरूप की मदें ही सम्मिलित की जावेंगी :-

- (1) जिनके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।
- (2) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।
- (3) जिनके लिये भारत सरकार / अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो ।

2. कोई भी ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन कय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।

3. अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की 6 प्रतियां (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में ही वित्त विभाग को दिनांक 25-06-2015 तक निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। आयोजना व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण सही परीक्षण कर लें।

4. जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका केन्द्रीय सहायता की राशि जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेषतौर से बताई जाय । इसी प्रकार यदि कोई व्यय जिसके लिये राशि मांगी जा रही है उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाय ।

संलग्न :- दो प्रपत्र

(संदीप यादव)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

शीट क्रमांक
(वित्त विभाग बजट शाखा द्वारा भरा जावेगा)

अनुपूरक अनुमान कम्प्यूटर पत्रक

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान 2015-2016 में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड, नाम आवश्यक रूप से भरें) (तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें) (यदि एक ही योजना अलग-अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उनके लिये अलग-अलग पत्रक का उपयोग करें, अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।)

1. बजट शाखा तथा सहायक कोड: _____
2. विभाग (कोड तथा नाम) _____
3. बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) _____
4. मांग संख्या _____
5. मुख्य शीर्ष _____
6. उप मुख्य शीर्ष _____
7. लघु शीर्ष _____
8. मतदेय/भारित _____
9. आयोजना/आयोजनेत्तर _____
- 9.1 (आयोजना है तो _____ सेगमेंट (कोड तथा नाम) कोड आवश्यक भरें) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) _____
- 9.2 योजना का नाम—(अधिकतम 20 शब्दों में) _____
10. योजना का प्रकार— (जो लागू न हो उसे काट दें) _____

नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर जिला
राज्य स्तरीय/बी.एम.एस./ईयर मार्कड ।

यदि जिला स्तरीय हो तब जिला का कोड तथा नाम

11. फण्ड के स्रोत:—

	प्रतिशत	राशि
राज्यांश		
केन्द्रांश		
अन्य		

प्रयोजन हेतु व्यय की मदें

(राशि रूपयों में)

उद्देश्य शीर्ष	वित्त शीर्ष	विवरण	वित्तीय वर्ष में अबतक कुल प्राक्धान (बजट अनुमान +अनुपूरक +पुनर्विनियोजन)	माह.....तक कुल व्यय	अतिरिक्त आवश्यक राशि	स्वीकृत (वित्त विभाग के उपयोग हेतु)
		योग				

12. आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम

13. बाह्य स्रोतों से प्राप्त सहायता/ऋण

(स्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सहायता/अन्य)

(कृपया नाम लिखें)

14. यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें.

15.1 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत की मांग संख्या

15.2 पुनर्विनियोजन/समर्पण/बचत का मुख्य शीर्ष

15.3 आयोजना/आयोजनेत्तर

15.4 मतदेय/भारित

15.5 बचत की राशि

15.6 बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्रक के साथ ही संलग्न करें)

बजट नियंत्रण अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासकीय विभाग)

प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुसूचक अनुमान के प्रस्ताव

स. विभा. का नाम	वित्त विभाग का कार्डिनल क्रमांक	मांग संख्या/मुद्रय शीर्ष सहित योजना का नाम पूर्ण विवरण	आयोजन / ना. आयोजन	उद्देश्य शीर्ष / विस्तृत शीर्ष जिसमें अनुसूचक अनुमानों में बजट प्रावधान चाहा गया है, के संबंध में जानकारी															
				क.	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	14-15 का कुल बजट प्रावधान	14-15 का कुल व्यय	15-16 का बजट प्रावधान	15-16 प्रथम त्रैमास तक बजट प्रावधान	15-16 का कुल अद्यतन व्यय 20.06.15 तक (SEMS अनुसूचक)	15-16 में व्यय का :	विभाग द्वारा मांगी गई राशि	मान्य योग्य राशि	सक्षम वित्तीय साक्षि. से अनुमोदित है या नहीं (हाँ/नहीं)	आयोजन ना. सीमा उपलब्ध है अथवा नहीं (हाँ/नहीं)	क्या नवीन मद है (हाँ/नहीं)	अमान्य किये जाने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													(13/11 या 12'100)	15 (हजार में)	16 (हजार में)				

नोट: आयोजना मद में वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास तक आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की जानकारी भी दी जाए। कार्यालय उपकरण एवं वाहन के मदों में सचिव स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय मंत्रीजी

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव

सचिव

अपर सचिव/उप सचिव

अवर सचिव